भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3839 का उत्तर

माल- वर्गीकरण

3839. श्री डॉ. ए. चेल्लाकुमारः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) माल परिवहन प्रणाली के तहत माल वर्गीकरण हेतु निर्धारित मानदंड/मापदंड क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे ने हाल ही में अनुप्रयुक्त दरों के निर्धारण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री के वर्गीकरण में अन्य बदलाव किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में निर्णयन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु रेलवे किस प्रकार कार्य कर रही है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क): माल परिवहन प्रणाली के तहत मालभाड़ा का वर्गीकरण रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 31 के अनुसार किया जाता है। किसी पण्य को वर्गीकृत करने के लिए अन्य के साथ-साथ ध्यान में रखे जाने वाले विभिन्न नियम/मानदंड हैं: सेवा की लागत, भौतिक/रासायनिक विशेषता, भार क्षमता, पण्यों का मूल्य, पण्य क्या सहन कर सकता है, कच्चे अथवा निर्मित माल के रूप में उपयोग, परिवहन के अन्य साधनों के साथ तुलना, लदान के लिए अपेक्षित मालडिब्बा की किस्म, पैकिंग की हालत, और कोई अन्य ब्यौरा, जो विशेष रूप से पणयों के परिवहन से जुड़ा हुआ हो।

(ख): पण्यों के वर्गीकरण की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे समय-समय पर किया जाता है। मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे ने किसी भी पण्य की कोटि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

Sk

(घ): पण्यों के वर्गीकरण में बदलाव करना मूल्य निर्धारण/दर-निर्धारण करने की प्रक्रिया है और यह आमतौर पर भारतीय रेलवे के दर यौक्तिकीकरण का एक हिस्सा होती है। दरों का यौक्तिकीकरण करने का निर्णय अत्यधिक संवेदनशील होता है और इसे लागू करने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी के द्वारा कोई भी अवांछित अथवा अनुचित लाभ नहीं लिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचनाओं को वास्तिवक समय में रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

*****

Sk